भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AE 828420

NOTARIAL NOTARIAL

शपथ–पत्र

समक्ष:– महामहीम राष्ट्रपति महोदया,
भारत नई दिल्ली।

विषय–: **श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 रामानन्द अग्रवाल का सत्ता के करीबी होने से राजनीतिक पकड़, हिस्ट्रीशीटर, माफिया, दबंग, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ ही शहर के सम्भ्रान्त लोगों से गहरी सांठ–गांठ है। श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) की मिलीभगत से खसरा संख्याः– 54मि स्थित ग्रामः– नवीकोट नन्दना, परगनाः– महोना, तहसीलः–बख्शी का तालाब के 102,795 वर्गफीट कृषिक भूमि पर लगभग 20,000 स्क्वायर फिट में गोदावरी टॉवर एवं लगभग 82,000 वर्गफिट में गोदाम का मानकों के विपरीत निर्माण पर विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र।**

1. यह कि महामहीम राष्ट्रपति महोदया जी को आज दिनांक–30.07.2022 को दिए गये शिकायती प्रार्थना प्रार्थना–पत्र के प्रस्तर 1 से लेकर 19 में वर्णित कथन शपथी के निजी ज्ञान में सत्य है।

दिनांक–: **30.07.2022**
स्थान–: लखनऊ

शपथी
A.K. Mishra

सत्यापन

मै शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की धारा 1 मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं किसी थी तथ्य को छुपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

आज दिनांक–**30.07.2022** को कलेक्ट्रेट, लखनऊ में अपना हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

दिनांक–: **30.07.2022**
स्थान–: लखनऊ

शपथी
A.K. Mishra

Sworn & Verified by Notary
R. K. MATHUR
Adv. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
Regd. No.
30.7.2022

HUMAN WELFARE EQUAL JUSTICE TRUST

EQUALITY OF STATUS AND OPPORTUNITY

HEAD OFFICE : 655A/4/331, Gayatripuram,
Adill Nagar, Lucknow-226022, [Reg. No.: 317/2019]
Mob:- +91 -9455555888, 9454552222

Ref.:.....

Date.: 30/07/2022

सेवा में,

महामहीम राष्ट्रपति महोदया,
भारत, नई दिल्ली।

विषयः— **श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 रामानन्द अग्रवाल का सत्ता के करीबी होने से राजनीतिक पकड़, हिस्ट्रीशीटर, माफिया, दबंग, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ ही शहर के सम्भ्रान्त लोगों से गहरी सांठ—गांठ है। श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन—4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन—4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) की मिलीभगत से खसरा संख्याः— 54मि स्थित ग्रामः— नवीकोट नन्दना, परगनाः— महोना, तहसीलः—बख्शी का तालाब के 102,795 वर्गफीट कृषिक भूमि पर लगभग 20,000 स्क्वायर फिट में गोदावरी टॉवर एवं लगभग 82,000 वर्गफिट में गोदाम का मानकों के विपरीत निर्माण पर विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना—पत्र।**

महोदय,

1. यह कि प्रार्थी ह्यूमन वेलफेयर इक्वल जस्टिस संस्था का संस्थापक है। **संस्था का मुख्य उद्देश्यः**—समाज में व्याप्त असमानता, अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध नियुक्ति, अवैध प्रतिनियुक्ति, अयोग्य पदोन्नति, अनाधिकृत निर्माण, सरकारी भूमियों पर अवैध निर्माण/अवैध कब्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य का निजीकरण, सामंतवाद व्यवस्था तथा अन्य कुरीतियों को रोकने की दिशा में आवश्यक एवं कठोर कदम उठाकर समाज के उपेक्षित, शोषित, लाचार और मजबूर व्यक्तियों को भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत न्याय दिलाने में सहयोग करना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर समाज को सजग, समृद्ध तथा संगठित बनाना एवं अखण्ड भारत की नींव को मजबूत करने की दिशा में सरकार के कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने के साथ ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो अपना पक्ष संवैधानिक आचरण के अन्तर्गत रखते हुए समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भी प्रेरित करना। प्रार्थी ने उपरोक्त कुरीतियों को उजागर करने के साथ—साथ कतिपय मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी योजित की हैं।

2. यह कि श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा बिना नक्शा पास कराये बीस फिट गहरा अवैध खनन करते हुए छः मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन—4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन—4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ)** की मिलीभगत से खसरा संख्याः— 54मि स्थित ग्रामः— नवीकोट नन्दना, परगनाः— महोना, तहसीलः—बख्शी का तालाब के 102,795 वर्गफीट कृषिक भूमि पर लगभग 20,000 स्क्वायर फिट में गोदावरी टॉवर एवं लगभग 82,000 वर्गफिट में गोदाम का मानकों के विपरीत अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसका 4 फोटोग्राफ्स एवं गूगल मैप की छायाप्रति **संलग्नक संख्या—1** के रूप में संलग्न है।

3. यह कि **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ)** जैसे अधिकारियों/कर्मचारियों के दोहरा मापदण्ड एवं सांठ–गांठ करने के वजह से समाज में यह अवधारणा वैश्विक महामारी कोरोना के जैसे फैल रही है, जो मानव सभ्यता को निगलने के लिए आतुर थी लेकिन देश का नेतृत्व सही हाथों में होने के कारण वैश्विक महामारी कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सके लेकिन **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ)** जैसे वायरस पर हम तब तक विजय प्राप्त नही कर सकते जब तक कि समाज में समान न्याय–व्यवस्था लागू नही होगा और तब तक समाज में सामान्य व्यवस्था लागू नही हो सकता जब तक कार्यवाही सब पर एक समान न हो। महोदय ऐसे दोहरा मापदण्ड अपनाने वाले जोन–4 में जब तक मौजूद रहेंगें तब तक ताकतवर, सामर्थ्यवान, सत्ता के करीबी, हिस्ट्रीशीटर, माफियाओं का अवैध निर्माण होता रहेगा एवं कागजी खानापूर्ति करते हुए गरीबों का मकान सील कर अपना सीना उपरोक्तों के जैसे अधिकारी थपथपाते रहेंगें।

4. यह कि **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव** ने अवैध निर्माण कराने की एक टीम बना रखी थी, जो सिर्फ अवैध निर्माण कराकर सरकार की छवि धूमिल कर रहे थे। जिसमें **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह एवं सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव की अहम भूमिका** थी। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था– अवैध निर्माण कराकर वसूली करना। यदि **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह** से गहरे सांठ–गांठ नहीं होता तो आज लगभग 1 लाख 2 हजार स्क्वायर फिट कृषिक भूमि पर श्री सुशील कुमार अग्रवाल बिना नक्शा पास कराये अवैध कॉम्पलेक्स एवं अवैध गोदाम का निर्माण नही करा पाते।

5. यह कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए माननीय/श्रीमान जी आप खुद भी निर्णय ले सकते हैं कि अवैध निर्माणकर्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल का **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव** से बहुत गहरा सांठ–गांठ है जिसके कारण कार्यवाही कागजों में भी नही की गयी यथार्थ यह है कि **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव** द्वारा मोटी रकम वसूली करके कार्यवाही नही की गयी। वसूली करके खानापूर्ति भी नही की गयी। ऐसे ही प्रकरणों के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण में रिश्वतखोरी का एक टैरिफ कार्ड है जिसे अमर उजाला ने दिनांक 11.02.2015 को बहुत ही प्राथमिकता से प्रकाशित किया था जिसकी **छायाप्रति संलग्नक संख्या– 2** के रूप में संलग्न है।

✓ गुण्डाराज, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, के कार्यकाल में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का रिश्वतखोरी का टैरिफ कार्ड अमर उजाला के अनुसार

- एक छोटी बिल्डिंग की सील खोलने का खर्च लगभग : 8 लाख रू0
- सील खोलने के बाद पर फ्लोर का सुविधा शुल्क लगभग : 3 लाख रू0
- सील बिल्डिंग के बनते रहने का मासिक शुल्क लगभग :1 लाख 50 हजार रू0

- बिना सील बिल्डिंग का पर फ्लोर सुविधा शुल्क लगभग : 2 लाख रू0

माननीय/महोदय 2015 में गुण्डों की सरकार/भ्रष्ट सरकार थी। मा0 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे ऐसा अवधारणा समाज में मीडिया के द्वारा एक प्रोपोगण्डा के तहत फैलाया गया था। उस वक्त रिश्वतखोरी का उपरोक्त रेट था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामराज्य है, उ0प्र0 के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्ट नही हैं। भगवान सूर्य के जैसे निष्पक्ष हैं यह अवधारणा मीडिया के द्वारा फैलाया गया है जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्बन्ध में यह सत्य भी है, लेकिन यह सत्य अर्द्धसत्य है। सम्पूर्ण सत्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं इसमें कोई संशय नही है लेकिन मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अफसरशाही निरंकुश एवं बेलगाम हो गयी है शासन पर प्रशासन हावी है। इसका मुख्य कारण जनप्रतिनिधियों का मान मर्दन करते हुए नकेल कसना है। जनप्रतिनिधियों का तो जवाबदेही तय है लेकिन अफसरशाही का जवाबदेही तय नही होने के कारण यह शासन पर हावी हो चुके हैं। योगी जी ईमानदार हैं इसका भय दिखाकर रिश्वतखोरी का रेट सपा सरकार से तीन गुना ज्यादा है जैसे–

- रामराज्य, ईमानदार मुख्यमंत्री, के कार्यकाल में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का रिश्वतखोरी का टैरिफ कार्ड।

- एक छोटी बिल्डिंग की सील खोलने का खर्च लगभग : 24 लाख रू0
- सील खोलने के बाद पर फ्लोर का सुविधा शुल्क लगभग : 9 लाख रू0
- सील बिल्डिंग में बनते रहने का मासिक शुल्क लगभग :4 लाख 50 हजार रू0
- बिना सील बिल्डिंग का पर फ्लोर सुविधा शुल्क लगभग : 6 लाख रू0

6. यह कि अमर उजाला में दिनांक 11.02.2015 की खबर के अनुसार एक अनुमानित रिश्वत **लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव** द्वारा लगभग **बिना सील बिल्डिंग का पर फ्लोर सुविधा शुल्क लगभग 6 लाख के रेट से लगभग 36 लाख रू0 की अनुमानित वसूली की गयी होगी।** यह अनुमान रामराज्य एवं गुण्डाराज्य तथा अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर आधारित है।

7. **यह कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत परिभाषित परिभाषाएं:–**

1.2.1. **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है।

1.2.2 **"विकास"** का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित भूमि में, उस पर , उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य कियाएं अथवा किसी भवन अथवा भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करने के अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी शामिल है।

1.2.5 **"बेसमेंट"** का तात्पर्य भू–तल के नीचे या अंशतः भू–तल के नीचे के निर्माण से है।

1.2.6. **"स्टिल्ट फ्लोर"** का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों यानि पिलर्स पर बनी हुयी संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊंचाई 2.10 मी0 हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रीत हो, से है।

1.2.8 **"तलक्षेत्र" (फ्लोर एरिया)** का तात्पर्य भवन से किसी तट पर आच्छादित क्षेत्रफल से है।

1.2.9. **"तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.)** का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है।

1.2.12 . **"निवास योग्य कमरे"** का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्याशित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु और स्टोररूम कारिडोर, बेसमेंट बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नही किये जाते हैं, सम्मिलित नही होगें।

1.2.15. (i) "आवासीय भवन" के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगें जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें 'एक' अथवा 'एक से अधिक' इकाई शामिल हैं।

1.2.15. (v) "व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन" के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यावसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक एवं फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो व्यावसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हो और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे।

1.2.15. (xi) "बहुमंजिला भवन" का तात्पर्य भूतल सहित चार मंजिले से अधिक भवन अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन से है।

1.2.15. (xii) "मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य ऐसे भवन परिसर से है जो न्यूनतम दो सिनेमाहाल के साथ–साथ वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए अभिप्रीत हो।

1.2.25. "मंजिल" का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

1.2.31. "निर्मित क्षेत्र" से तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र से है जिसका अधिकांश भाग व्यवसायिक, औद्योगिक आवासीय अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है तथा इसमें अभी आवश्यक सुविधाएं यथा–सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।

1.2.39. "भवन की ऊँचाई" से तात्पर्य आस–पास की भूमि के औसत सहत से भवन के अन्तिम तक के टेरेस तक की ऊँचाई की गणना में भवन के आर्किटकक्चरण फीचर्स, जो सिर्फ सजावट के उद्देश्य से हों, सम्मिलित नही होंगें।

यहां उपरोक्त विधिक परिभाषाओं को दर्शित करने का आशय यह है कि वर्तमान में नव–निर्मित विवादित काम्पलेक्स भौतिक दृष्टिकोण से आवासीय परिभाषा के अन्तर्गत नही बना है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत धारा 14 विकास क्षेत्र में भूमि का विकास, धारा 15 अनुमति के लिए आवेदन किये बगैर ही श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से कृषिक भूमि पर अवैध व्यावसायिक काम्पलेक्स एवं गोदाम का निर्माण कर दिया गया है।

8. यह कि स्थानीय लोगों से हमारे द्वारा पूछा गया कि अवैध निर्माण होने से आवागमन पूर्णतः बाधित है इसके बावजूद भी आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी नीचे से ऊपर तक सब बिके हुए हैं। श्री सुशील कुमार अग्रवाल से उनका बहुत गहरा सांठ–गांठ है। हम लोग आवाज उठायेंगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी सब बिके हुए हैं। आवाज उठाने पर अवैध निर्माणकर्ता किसी भी वक्त पुलिस से फंसाकर हत्या करा देगा।

9. यह कि माननीय जी बहुत दुख के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि उ0प्र0 में (EQUAL JUSTICE) सामान्य न्याय की व्यवस्था माननीय न्यायालय के अलावा मिलना तो दूर कल्पना भी नही किया जा सकता, क्योकि **भाजपा सरकार** में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय न होने के कारण बेलगाम हो चुके है, अफसरशाही निरंकुश हो चुकी है शासन पर प्रशासन हाबी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गया है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) सीलिग एवं सम्मनिंग के नाम पर आम–जनमानस को लूट कर उ0प्र0 सरकार की छवि खराब कर रहे है** वक्त रहते इन पर अंकुश नही लगाया गया तो भविष्य की स्थितिया बहुत ही भय वाहक होंगी जिसके जिम्मेदार **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह एवं सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव होंगे।**

10. यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया जाना चाहिए लेकिन यहां तो उनका रवैया इस बात को दर्शाता है कि **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार**

यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) अपने विलासिता पूर्ण जीवन–यापन करने हेतु मंडी में जैसे सामान बिकता है वैसे अपने आपको बेचकर/अवैध निर्माणकर्ता के सामने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सिद्धी हेतु आत्मसमर्पण कर अवैध निर्माण कराकर पूरे शहर को कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित कर रहे हैं।

11. यह कि ऐसे ही अवैध निर्माणों के बदस्तूर जारी रहने से पूरा शहर कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित होता जा रहा है। अवैध निर्माणकर्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) द्वारा अपने भौतिक सुखों एवं विलासिता में वृद्धि करने के कारण आम–जनमानस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, वातावरण में क्लोरो प्लोटों कार्बन में जबरदस्त वृद्धि हुई है, इससे सूर्य की घातक पराबैगनी किरणों से सुरक्षा करने वाली ओजोन की पर्त में छेद हो गया है। पृथ्वी ग्रीन हाउस मफेत्त के चलते गर्म होती जा रही है, पृथ्वी के अपनी समय दर से लगातार अधिक गर्म होने की प्रकिया को ही भूमंडलीयकरण ताप में वृद्धि कहा जाता है। यदि ग्रीन हाउस गैस इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगली आधी सदी में सारे विश्व का तापमान–1.5 से 4.5 डिग्री सेन्टी ग्रेट तक बढ सकता है। जिसके कारण अनेक बीमारियों के फैलने प्राकृतिक आपदाओं के प्रकरण होने के साथ–साथ समुंद्र स्तर के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे विश्व के लगभग 100 करोड़ लोग व एक तिहाई कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। इसके जिम्मेदार तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ)जैसे कर्मचारी/अधिकारी शामिल है।

12. यह कि अवैध निर्माण से निकलने वाली धूल–मिट्टी से जो प्रदूषण वायु मण्डल में फैल रहा है उससे वायु–मण्डल के साथ–साथ जलवायु गर्म होने के मुख्य कारण ग्रीन हाउस विशेषकर कार्बन डाई ऑक्साइड का वायुमंण्डल में बढ़ना है। अवैध निर्माण के रूप में जो पूरा शहर कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित हो रहा है उसके कारण अनन्त उत्पादन के लिए जंगलों का सफाया होता जा रहा है, लकड़ियो को पटरा व बल्ली के रूप में अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा उपयोग कर ईधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हानिकारक गैसों में वृद्धि होती जा रही है। कार्बन डाई ऑक्साइड, मिथेन तथा क्लोरो–फ्लोटो कार्बन की अधिकता से दिन प्रतिदिन धरती गर्म होती जा रही है। जलवायु गर्म होने का एक और कारण प्राकृतिक साधनों का असंवैधनिक तरीकों से संसाधनो का उपयोग करना भी है और औद्योगिकीकरण के अंधा–धुंध विकास से वायुमण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हो रही है। इसके जिम्मेदार श्री सुशील कुमार अग्रवाल जैसे निजी स्वार्थ सर्वोपरी के सिद्धान्तों पर चलने वाले सत्ता के करीबी, दबंग/ताकतवर/समर्थवान लोगो के साथ–साथ पैसे के लालच में तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ)जैसे कर्मचारी/अधिकारी शामिल है।

13. यह कि अवैध निर्माण से भूमंडलीयकरण ताप का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है, अवैध निर्माणकर्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा बहुत अधिक मात्रा में फ्रीज, एयरकंडीशन, ईधन, गैस, बिजली के उपकरणों के अधिक मात्रा में प्रयोग से क्लोरो–फ्लोरो कार्बन उत्सर्जित करती है। जो भूमंडलीय ताप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वायु मण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर इस अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो

वनस्पति और प्राणी दोनो प्रभावित होते हैं, कृषिक भूमि पर व्यवसायिक अवैध कॉम्पलेक्स एवं अवैध गोदाम का अवैध निर्माण श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) के द्वारा सांठ–गांठ कर अवैध निर्माण करने से भारी मात्रा में कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन करता है जो भूमंडलीय ताप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

14. यह कि अवैध निर्माण/कंक्रीट का जंगल के बढोत्तरी से पानी की बरबादी होती है जिससे भावी पीढ़ी को पानी से वंचित रहना पड़ सकता है। आज यह जो अवैध निर्माण हो रहा है इसमें पानी की बहुत बड़ी बरबादी है, अवैध निर्माण कर पानी को बरबाद करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि यही पानी उन्हे बरबाद करके रहेगा। एक बूंद पानी या एक बूंद खून यही समझ लें। पानी आपने बरबाद किया, खून आपके परिवार वालों का बहेगा। क्या अपनी आँखों को इतना सक्षम बना लेंगे की अपने ही परिवार के किसी प्रिय सदस्य का खून बेकार बहता देख पाएगें? अगर नही तो आज से ही नही, बल्कि अभी से पानी के एक–एक बूंद को सहेजना शुरू कर दें। अगर ऐसा नही, तो यह प्रकृति आपके आने वाली पीढ़ी को समाप्त कर देगी। वैश्विक तापमान यानि ग्लोबल वार्मिंग विश्व की सबसे बडी चुनौती बन चुकी है, इससे न केवल मनुष्य, धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किये जा रहे है। लेकिन तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) के सांठ–गांठ के वजह से समस्या कम होने के बजाये साल–दरसाल बढ़ती जा रही है। अगर श्री सुशील कुमार अग्रवाल तत्कालीन तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) पर वक्त रहते अंकुश नही लगाया तो भविष्य और भी भयानक हो सकता है।

15. यह कि अवैध निर्माण से मानव स्वास्थ्य पर असर–: अवैध निर्माण से जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगो को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। कंक्रीट का जंगल बनने से गर्मी बढ़ेगी, मलेरिया, डेंगू, और यलो फीवर (एक प्रकार की बीमारी है जिसका नाम है यलो फीवर) जैसे संक्रामक रोग (एक से दूसरे को होने वाला रोग) बढ़ेंगें। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जब हममें से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और श्वास (नाक से ली जाने वाली सांस की प्रोसेस) लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होगा।

16. यह कि अवैध निर्माण से पशु–पक्षी व वनस्पतियों पर असर–: अवैध निर्माण के वजह से पशु–पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि कंक्रीट के जंगल के बढ़ने से पशु–पक्षी पहाड़ी इलाको की ओर प्रस्थान करेंगें, लेकिन इस प्रतिक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगें।

17. शहरों पर असर–: इसमें कोई शक नही है कि गर्मी बढनें से ठंड भगाने के लिए इस्तेमाल में लायी जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी, लेकिन इसकी आपूर्ति एयरकंडीशन में हो जाएगीं। घरों को ठंड करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा। बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा।

18. अवैध निर्माण से प्राकृतिक आपदा:– यह कि अवैध निर्माण के ही वजह से भूकम्प जैसे प्राकृतिक आपदा पर कोई भी मनुष्य कितना भी जोर लगा ले रोक नही सकता आपदाएं बिना कोई संदेश दिये आती है और चन्द लम्हों में सबकुछ तहस–नहस कर देती है, जिससे देश के जन धन, पशु पक्षी, आदि इसमें तबाह हो जाते हैं। ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होने का कारण तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव,

श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव एवं वर्तमान अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) जैसे कर्मचारी/अधिकारी की शिथिलता एवं सांठ–गांठ है। जिसे अवैध निर्माणकर्ता पर त्वरित कार्यवाही कर उपरोक्त आपदाओं से बचाया जा सकता है।

19. माननीय/श्रीमान जी आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ता सिर्फ कमजोर, लाचार, गरीब का निर्माण नही होने दे रहे हैं एवं अमीर/प्रभावशाली व्यक्तियों का अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रह रहा है जैसे कि **श्री सुशील कुमार अग्रवाल।**

प्रार्थना

महामहीम जी से प्रार्थना है कि प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, मण्डलायुक्त मण्डल लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित करें कि अवैध निर्माणकर्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल पर साहसिक कदम उठाते हुए अविलम्ब कार्यवाही कर समान न्याया (EQUAL JUSTIC) का नजीर पेश करने के साथ ही **तत्कालीन अधिशासी अभियंता जोन–4 श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता श्री राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सुपरवाइजर श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामशरण यादव, श्री हरिपाल यादव पर विधिक कार्यवाही करें एवं** वर्तमान **अधिशासी अभियंता/जोनल अधिकारी जोन–4 श्री अरविन्द त्रिपाठी, सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अवर अभियंता श्री अम्बरीश शर्मा, श्री राम सरन (मेठ), श्री सूबेदार वर्मा (मेठ), श्री रामचन्द्र (मेठ) को श्री सुशील कुमार अग्रवाल पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।** साथ ही साथ मुख्य सचिव उ0प्र0 सरकार श्री राहुल भटनागर जी द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2029/8–3–2005–70काम्प/2005 दिनांक 13.05.2005 को हुए आदेश को उपरोक्त अधिकारी जिम्मेदारी से लेते हुए, अवैध निर्माणकर्ता श्री सुशील कुमार अग्रवाल पर प्रभावशाली कार्यवाही करें। आपकी महान कृपा होगी। शासनादेश की छायाप्रति **संलग्नक संख्याः–3** के रूप में संलग्न है।

दिनांकः–30.07.2022
स्थानः–लखनऊ

प्रार्थी,
H.K. Mishra
(हेमन्त कुमार मिश्रा)
मो0 : 9454552222

प्रतिलिपि–:

1. माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय महामहीम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
4. श्रीमान मुख्य सचिव उ0प्र0 सरकार।
5. श्रीमान प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री।
6. श्रीमान निजी सचिव मुख्यमंत्री।
7. श्रीमान प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
8. श्रीमान मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
9. श्रीमान उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. श्रीमान सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

GODAWARI TOWER
FOR RENT
GODAWARI
TOWER

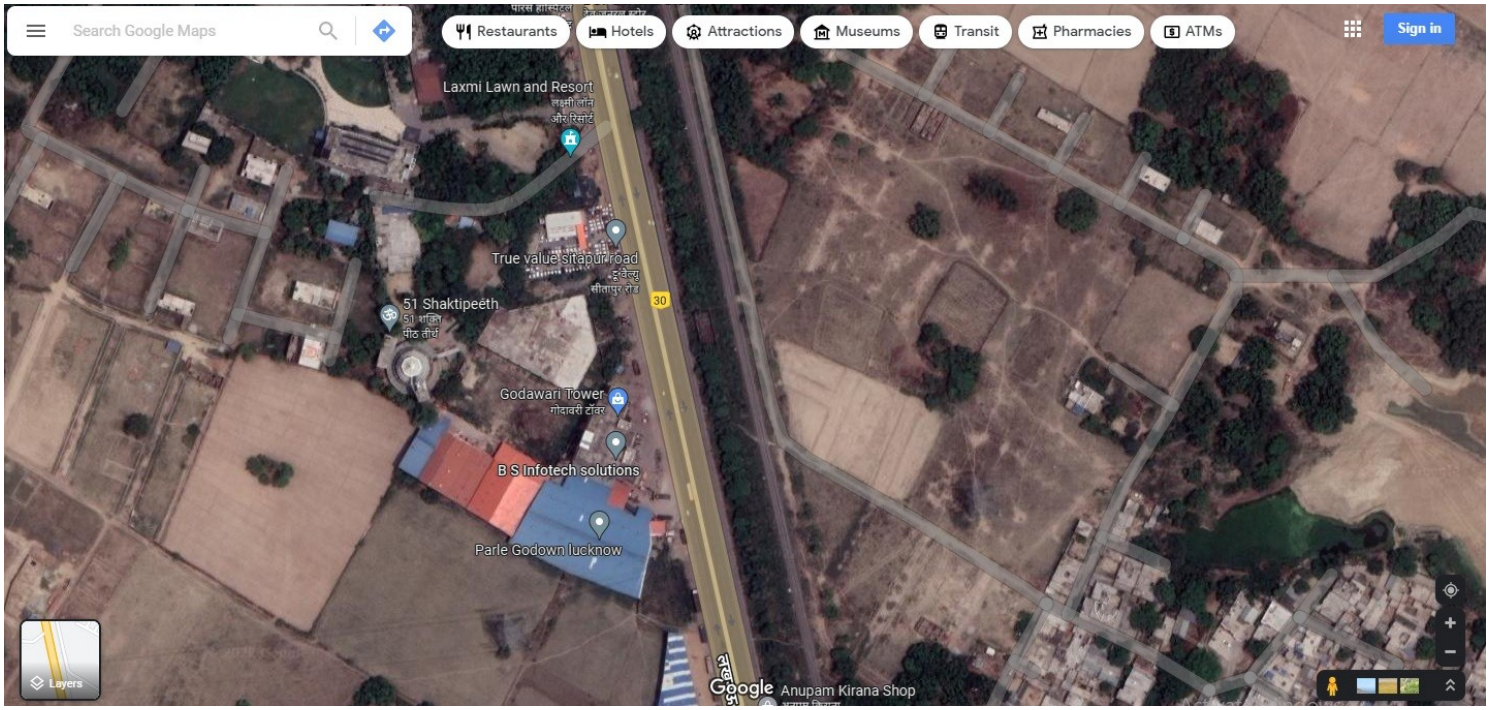

Search Google Maps
Restaurants
Hotels
Attractions
Museums
Transit
Pharmacies
ATMs
Sign in
Laxmi Lawn and Resort
लक्ष्मी लॉन
और रिसॉर्ट
True value sitapur road
51 Shaktipeeth
Godawari Tower
गोदावरी टॉवर
B S Infotech solutions
Parle Godown lucknow
30
Google
Anupam Kirana Shop
Layers

CONTACT SITE FO
9335820794, 8840
9335925509
GODAWARI TOWER

अवैध निर्माण पर एलडीए का एक्शन महज दिखावा

सीलिंग की आड़ में बढ़ाया घूस का रेट

आधी-अधूरी कार्रवाई पर सवालिया निशान, शिकायत पर नोटिस देकर चुप बैठ जाता है प्राधिकरण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एलडीए में अवैध निर्माण का खेल बदल चुका है और साथ ही इसको बढ़ावा देने का रेट भी सीलिंग के हिसाब से घटता-बढ़ता है। पहले से ड्योढ़े सुविधा शुल्क पर अभियंता बिल्डर को अवैध निर्माण करने की इजाजत दे रहे हैं। इसमें सील खोलने से लेकर निर्माण पूरा कराने तक की गारंटी है।

चार हजार वर्ग फीट के अवैध निर्माण को मानक माने तो बिल्डिंग की सील खोलने का खर्च करीब आठ लाख रुपये है। इसके बाद में जब भी कोई फ्लोर पड़ेगी तब तीन लाख रुपये लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह 1.50 लाख रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बिना सील बिल्डिंग के लिए फ्लोर पड़ने पर दो लाख और इसके बाद एक लाख रुपया मासिक खर्च लिया जाता रहा है।

आर्यनगर नाका में जारी है अवैध निर्माण। नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई।

इन पर अब तक नहीं लिया गया एक्शन

महानगर में मंदिर मार्ग मकान नंबर बी-55 में तीन मंजिल मकान का मानचित्र पास करवाया गया था। मगर यहां अब तक चार मंजिल निर्माण किया जा चुका है। यहां पर एक निजी नर्सिंग होम बनाया जा रहा है। इलाकाई अभियंताओं का कहना है कि निर्माण को जारी रखने की हिदायत उनको शासन से मिलती है। नोटिस के बावजूद निर्माण जारी है। इसी तरह से आर्यनगर नाका में भी अवैध निर्माण जारी है। कई नोटिस इस इमारत को दिए गए मगर अब तक निर्माण नहीं रोका गया है। गोमती नगर विराम खंड-1 में भी सील बिल्डिंग में निर्माण किया जा रहा है। जबकि, नए अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहे हैं।

हर काम का फिक्स दाम

एक छोटी बिल्डिंग की सील खोलने का खर्च : लगभग ₹ 8 लाख
सील खोलने के बाद पर फ्लोर का सुविधा शुल्क : लगभग ₹ 3 लाख
सील बिल्डिंग के बनते रहने का मासिक शुल्क : लगभग ₹ 1.50 लाख
बिना सील बिल्डिंग का पर फ्लोर सुविधा शुल्क : लगभग ₹ 2 लाख
सील बिल्डिंग के बनते रहने का मासिक शुल्क : लगभग ₹ 1 लाख

दो हफ्ते बाद फिर शुरू हो जाता है निर्माण

लखनऊ। रोज पांच से आठ अवैध निर्माण सील किए जा रहे हैं, बावजूद इसके बिल्डर-अभियंता गठजोड़ पर इसका कोई असर होते नहीं दिख रहा है। खुलेआम मुख्य मार्गों पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। एक ओर प्राधिकरण भवन को सील करता है तो दो सप्ताह बाद इमारत दोबारा बनना शुरू हो जाती है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये अधूरी कार्रवाई लगातार जारी है। आला अधिकारियों तक सीलिंग की रिपोर्ट तो पहुंच रही है मगर अभियंताओं की शह पर जो दोबारा अवैध निर्माण शुरू किए जा रहे हैं, उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ऐसे में खोखली कार्रवाई शहर की सूरत किसी भी हाल में संवारती नजर नहीं आती है।

चार और अवैध निर्माण सील

प्राधिकरण ने रायबरेली रोड पर सीलिंग की कार्रवाई की। कल्ली पश्चिम के विजय नगर में शिवे अस्पताल, अलका तिवारी, सुरेश कुमार का अवैध निर्माण और अजीत राय के मानक विपरीत निर्माण को सील किया।

बिल्डरों को नहीं पड़ रहा सीलिंग से फर्क

इमारत के सील या ध्वस्तीकरण का आदेश किए जाने से राजधानी के रसूखदार बिल्डरों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बिल्डिंग की कंपाउंडिंग के नाम फिर से लाखों का खेल शुरू होता है। यहां तक की कुछ मंजिल ध्वस्त हो जाने के बावजूद बिल्डिंग धड़ल्ले से दोबारा बना दी जाती हैं। ढाई मंजिल निर्माण की वैधता वाली बिल्डिंग को तीन से लेकर सात मंजिल तक बनाया जा रहा है। प्राधिकरण में जो कागज रखे जाते हैं, उनमें साफ कहा जाता है कि जितनी बिल्डिंग अधिकतम वैध संभव है, उसकी कंपाउंडिंग जमा की जा रही है। बैंक गारंटी भी जमा की जाती है। इसके बाद सील खोल दी जाती है, तोड़ा कुछ नहीं जाता है। मिलीभगत कर के बैंक गारंटी भी वापस ले ली जाती है।

एलडीए वीसी से सीधी बात

सुबूत मिले तो होगी इंजीनियर पर कार्रवाई

- **लगातार एलडीए के सीलिंग एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार यह अधूरी कार्रवाई क्यों?**
- इस मामले में पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। निर्माण सील होने के बाद पुलिस अभिरक्षा में होता है। वैसे इस तरह की रिपोर्टों के आधार पर सील खुलने की दशा में बिल्डरों पर मुकदमे होंगे।
- **क्या आपकी जानकारी में है कि पहले से ड्योढ़े सुविधा शुल्क पर अभियंता सील खोल रहे हैं?**
- इस तरह का कोई भी प्रमाण सामने आने पर संबंधित अभियंता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- **कंपाउंडिंग के नाम पर चल रहा लाखों का खेल। आखिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से क्यों पीछे हट रहा एलडीए?**

- ध्वस्तीकरण एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसको अंजाम देने के लिए हमको काफी समय देना पड़ता है। हम जल्द ही ध्वस्तीकरण भी करेंगे।
- **आप कह रहे कि जनता सूचना दे कि कहां तोड़ी गई सील। पर एलडीए पहले सील तोड़ने वालों पर एक्शन लेने में देरी क्यों कर रहा?**
- हर जगह कार्रवाई जारी है। जैसे-जैसे सूचना मिलती है। एक्शन किया जाता है। आगे भी जारी रहेगा।
- **शहर में अनेक जगह एलडीए ने नोटिस दिए हैं मगर कार्रवाई नहीं की, ऐसे मामले महानगर और आर्यनगर नाका में भी हैं।**
- अवैध निर्माण पर कार्रवाई बंद नहीं हुई है। रोज ही सात-आठ निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां-जहां नोटिस दिया गया है, वहां कार्रवाई होगी।

संख्या– 167 /8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी.

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम/प्रभारी अधिकारी
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 05 मई, 2017

विषयः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–2029/8–3–2005–70काम्प/2005 दिनांक 13.05.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर किये गये कब्जों तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जहां एक ओर शहरों का नियोजित विकास प्रभावित हो रहा है वहीं दूसरी ओर सड़कों, फुटपाथों एवं पार्किंग क्षेत्रों के दुरूपयोग से यातायात एवं सामान्य जनजीवन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुये अतिक्रमण/अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जों/निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध रूप से अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जे की भूमि को मुक्त कराने के लिए निम्नवत कार्यवाही अविलम्ब करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) अधिकतम मूल्य की व महत्वपूर्ण मार्गों, चौराहों एवं स्थलों पर सार्वजनिक भूमि पर किये गये ऐसे अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण, जो वृहद स्तर के हों एवं जिनके हटाने से शासन की मंशा के संबंध में स्पष्ट संदेश जा सके, उन्हें प्रथम वरीयता पर लिया जाय व अवैध कब्जे हटाकर स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग व अन्य शासकीय भूमि को तत्काल कब्जा दिलाया जाए।

(2) राष्ट्रीय राज्य मार्गों, राज्य मार्ग तथा नगरीय क्षेत्रों के अन्य मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ इत्यादि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को भी वरीयता दी जाय।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अनधिकृत अवैध निर्माण, जिनके संबंध में नगर निगम, नगर निकाय, प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग इत्यादि

विभागों से सक्षम स्तर पर बिना अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त किये अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये हों उनके संबंध में भी प्राथमिकता पर कार्यवाही की जानी है उदाहरणार्थः—

(क) महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत निर्माण किया गया हो।

(ख) जिनमें कोई भी मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त न की गयी हो अथवा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर अशमनीय निर्माण किया गया हो।

(ग) सेटबैक का व्यापक एवं अशमनीय उल्लंघन किया गया हो।

(4) सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरूद्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—26, 27 एवं 28 के अधीन तथा अन्य विभागों, परिषदों अथवा निगमों/निकायों के सुसंगत अधिनियमों में निहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाये।

3— अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का समुचित रख—रखाव एवं उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि पुनः उस भूमि पर अतिक्रमण न होने पाये। मुक्त करायी गयी भूमि की फेन्सिंग, बाउड्री वाल इत्यादि बनाकर एवं अपेक्षित विकास करके विभागीय नीति के अनुसार त्वरित गति से उपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं मुक्त करायी गयी भूमि का उपयोग/निस्तारण कर संसाधनों में वृद्धि की जाय।

इसी प्रकार सड़क व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के पश्चात सम्बंधित अभिकरण/विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करा दिया जाय ताकि पुनः अतिक्रमण की संभावना न रहे। संबंधित पुलिस थाने को अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण प्रेषित कर दिया जाय ताकि संबंधित विभाग द्वारा अवमुक्त करायी गयी भूमि का समुचित उपयोग/निस्तारण हो जाने तक यथावश्यक पुलिस की सहायता प्राप्त कर उसकी अभिरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4— अतिक्रमण/अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए नगर को 'जोन्स' में बांटकर उसके लिए समुचित स्तर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। उक्त अधिकारियों के नियंत्रण में क्षेत्र स्तरीय अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा अन्य समकक्षीय विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण/अवैध निर्माण रोकने के लिये उत्तरदायी बनाया जाय एवं स्पष्ट रूप से सड़क की लम्बाई, वार्ड अथवा सेक्टर्स चिन्हित कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाय। यह लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया जाय कि अतिक्रमण/अवैध निर्माण होने की दशा में उपरोक्त अधिकारियों तथा निर्धारित क्षेत्र/जोन में तैनात अन्य संबंधित समस्त अधिकारी/कर्मचारी अतिक्रमण हेतु दोषी पाये जाने पर दण्डित किए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—26—घ में अतिक्रमण को न रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बंध में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत हैः—

"जो कोई इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम, नियमावली अथवा उपविधि के अन्तर्गत अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने के विशेष कर्तव्य के अधीन होते हुए ऐसे अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने में जानबूझकर अथवा आशयपूर्वक उपेक्षा करेगा अथवा जानबूझकर लोप करेगा, साधारण करावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।"

जोनल स्तर के उत्तरदायी अधिकारी चिन्हित अवैध निर्माणों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करायेंगे और उक्त अभिलेख दिन–प्रतिदिन के आधार पर "अपडेट" किये जायेंगे जिसे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा। अभिलेखीकरण हेतु फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं कम्प्यूटरीकरण की प्रचलित विधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं अभिलेखों से छेड़–छाड़ न किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध इस अभियान का समग्र समन्वय एवं मानीटरिंग मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। उनके स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं उसके पश्चात अवमुक्त करायी गयी भूमि के विभागीय/शासकीय हित में समुचित निस्तारण इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर प्रभावी कार्य योजना मण्डलायुक्त द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

मण्डलायुक्त द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही हेतु उत्तरदायी नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर उत्तरदायी बनाया जायेगा एवं अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने के इस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा एवं संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– नगर निगमों के नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आवास आयुक्त, अपर आवास आयुक्त व निकायों व अन्य विभागों के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं मण्डलायुक्त को यथापेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

अभियान के दौरान मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण यथा–क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य, कब्जे की प्रकृति इत्यादि का विवरण आयुक्त के माध्यम से संकलित कराकर शासन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन आवास बन्धु को उनके ई–मेल/फैक्स के माध्यम से संलग्न प्रारूप पर अपर निदेशक(नियोजन), आवास बन्धु को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिदिन के आधार पर उक्त सूचना प्रतिदिन 5.00 बजे तक उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आवास बन्धु स्तर पर सूचनाओं का साप्ताहिक संकलन कर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को अगले सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस (सोमवार) पर प्रस्तुत की जायेगी, जो प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की टिप्पणी के साथ मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी।

8– सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उपरोक्तानुसार कार्ययोजना बनाकर युद्धस्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। यथासम्भव प्रत्येक दशा में 15 दिन में सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाय।

9– अवैध निर्माण/सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त आवश्यक सहयोग एवं पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा।

10– अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के सम्बंध में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये कठोर निर्देशों के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय ताकि नगरों के सुनियोजित विकास की संकल्पना साकार हो सके एवं विभागीय एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण करने वाले अवांछनीय तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इससे न केवल बहुमूल्य शासकीय भूमि अवमुक्त करायी जा सकेगी वरन् सामान्य जन को भी बेहतर नगरीय जीवन सुलभ हो सकेगा एवं शासन तथा संबंधित विभागों की सामान्य छवि एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठा में भी अपेक्षित सुधार हो सकेगा।

11— अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाकर सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने की उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जायेगी एवं उपरोक्त क्रिया—कलाप में किसी भी प्रकार की विभेदकारी प्रवृत्ति नहीं अपनायी जायेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
10. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
12. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
13. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
15. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सदा कान्त)
अपर मुख्य सचिव